

न्यायालय : एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

::: प्रथम संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्ष:-2023:::

आदेश दिनांक 12.08.2023 से प्रभावशील

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य वर्ष 2023 के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश दिनांकित 04.07.2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता है:-

(A)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 01 में श्री एस.एस.जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंदसौर के समक्ष कॉलन नंबर 1(स) आरक्षी केंद्र-आबकारी वृत्त पूर्व मंदसौर एवं पश्चिम एवं उसके समक्ष संपूर्ण विवरण को विलोपित किया जाता है।

(B)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 02 में श्री प्रवीण कुमार सौंधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मंदसौर के समक्ष कॉलन नंबर 2(अ) आरक्षी केंद्र-नई आबादी को विलोपित किया जाता है, उसके स्थान पर आरक्षी केंद्र वाई.डी.नगर स्थापित किया जाता है।

(2)- श्री प्रवीण कुमार सौंधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, मंदसौर	2(अ) आरक्षी केंद्र - <u>वाई.डी.नगर</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्तंभ क्रमांक 2(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
---	--	--

(C)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 03 में श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर के समक्ष कॉलन नंबर 3(अ) आरक्षी केंद्र-वाई.डी.नगर को विलोपित किया जाता है, उसके स्थान पर आरक्षी केंद्र भावगढ़ स्थापित किया जाता है।

(3)- श्री प्रेमदीप सांखला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र <u>भावगढ़</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
--	----------------------------------	--

(D)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 04 में श्री विनोद अहिखार, न्यायिक

As
12.08.2023

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर के समक्ष कॉलन नंबर 5(अ) आरक्षी केंद्र-**भावगढ़** को विलोपित किया जाता है, उसके स्थान पर आरक्षी केंद्र **नई आबादी** स्थापित किया जाता है।

(5)-	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी., मंदसौर	5(अ) आरक्षी केंद्र- नई आबादी एवं यातायात मंदसौर	1. स्तंभ क्रमांक 5(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 5(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
------	--	--	--


(E)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 8 में सुश्री प्राची पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर के समक्ष कॉलन नंबर 8(ब) आरक्षी केंद्र-**महिला थाना, मंदसौर** को विलोपित किया जाता है। सरल क्रमांक 8 (ब) के स्थान पर आरक्षी केंद्र-**आबकारी वृत्त पूर्व मंदसौर एवं पश्चिम** स्थापित किया जाता है।

(8)-	सुश्री प्राची पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	8(ब) आरक्षी केंद्र- आबकारी वृत्त पूर्व मंदसौर एवं पश्चिम	3. स्तंभ क्रमांक 8(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
------	--	---	---

(F)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 9 में सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर के समक्ष नवीन कॉलन नंबर 9(स) आरक्षी केंद्र-**महिला थाना, मंदसौर** को स्थापित किया जाता है।

(9)-	सुश्री रूपा मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	9 (एफ) आरक्षी केंद्र- महिला थाना मंदसौर	1. स्तंभ क्रमांक 9(एफ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद
------	--	--	---

उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनांक **12.08.2023** से प्रभावशील होगा।


(एस.एस. जमरा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर

मंदसौर, दिनांक 11.08.2023


पृ. क्रमांक **938**
सं. **946** /2023

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 थाना प्रभारी, थाना की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07 प्रवर्तन लिपिक, सी जे एम न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

08 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

09 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(एस.एस. जेमरा) 8.2.23

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मंदसौर

न्यायालय : एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

::: द्वितीय संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्ष:-2023:::

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य वर्ष 2023 के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश दिनांकित 04.07.2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता है:-

(A)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 04 में लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर में "लक्ष्मी वास्कले" के स्थान पर "सुश्री प्राची पाण्डेय" को स्थापित किया जाता है।

(4)-	सुश्री प्राची पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	4(अ) आरक्षी केंद्र- (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ (मंदसौर तह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) दलौदा	1. स्तंभ क्रमांक 4(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न- पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 5,00,001 से अधिक) की राशि के परिवाद।
------	--	---	---

(B)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 08 में सुश्री प्राची पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर में "सुश्री प्राची पाण्डेय" के स्थान पर "लक्ष्मी वास्कले" को स्थापित किया जाता है।

(8)-	लक्ष्मी वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	8(अ) आरक्षी केंद्र- (1) शहर कोतवाली, (2) नई आबादी*, एवं नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील क्षेत्राधिकार अंतर्गत)	4. स्तंभ क्रमांक 8(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध - 1. महिलाओं के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498-ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित प्रकरण। 3. तलाकशुदा मुरिलम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)। 4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण। 5. ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		8 (ब) आरक्षी केंद्र- महिला थाना मंदसौर	1. स्तंभ क्रमांक 8(ब) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद

22.8.2023

	8(स) आरक्षी केंद्र (1) शहर कोतवाली, (2) भावगढ़, (3) वाई.डी.नगर, (4) अफजलपुर, (5) नई आबादी, (6) नाहरगढ़ मंदसौर राह. क्षेत्राधिकारांतर्गत (7) बलौदा	7. स्तंभ क्रमांक 8(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन (राशि रुपये 50,001 से 100,000 तक) की राशि के परिवाद।
	8(व) आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली	8. स्तंभ क्रमांक 8(व) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
	8(इ) आरक्षी केंद्र शहर कोतवाली	9. स्तंभ क्रमांक 8(इ) में अंकित आरक्षी केंद्रों में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
	8(फ) आरक्षी केंद्र-शहर कोतवाली	1. स्तंभ क्रमांक 8(फ) में अंकित आरक्षी केंद्र के क्षेत्राधिकारांतर्गत उद्भूत आपराधिक परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं.।

धारा 164 चण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

संशोधित :: अनुसूची "ब" :: दिनांक 04.07.2023 में कॉलम नंबर 8 निम्नानुसार संशोधन किया

क.	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
8	आरक्षी केंद्र अफजलपुर, महिला थाना	लक्ष्मी वास्कले, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनांक **23.08.2023** से प्रभावशील होगा।

22.8.2023
(एस.एस. जमरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर

पृ. क्रमांक:- 991/2023

मंदसौर, दिनांक 22.08.2023

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सावर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्री स.प्र.स्ट. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 थाना प्रभारी, थाना स.प्र.स्ट. की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 प्रवर्तन लिपिक, सी जे एम न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 08 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 09 माननीय मजिस्ट्रेट प्रभारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

22.8.2023
(एस.एस. जमरा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

न्यायालय : एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)
::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्ष:-2023:::

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य वर्ष 2023 के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश दिनांकित 04.07.2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता है:-

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

प्रभावशील संशोधित ::: अनुसूची "ब" ::: में कॉलम नंबर 6 निम्नानुसार संशोधन किया

क.	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
8	आरक्षी केंद्र महिला थाना	सुश्री रूपा मिश्रा, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनांक 05.10.2023 से प्रभावशील होगा।

(एस.एस. जमरा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर

पृ. क्रमांक:- 1770/2023

मन्दसौर, दिनांक 05.10.2023

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्रीन्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 थाना प्रभारी, थाना की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 प्रवर्तन लिपिक, सी जे एम न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 08 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 09 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.एस. जमरा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मंदसौर

न्यायालय : एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)
::: द्वितीय संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्ष:-2023:::

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य वर्ष 2023 के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता है:-

(A)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 03 श्री प्रेमदीप सांकला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष अंकित कॉलम नंबर 3(अ) में अंकित आरक्षी केंद्र भावगढ़ विलोपित किया जाता है।

(B)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 03 श्री प्रेमदीप सांकला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष कॉलम नंबर 3(अ) में आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील क्षेत्राधिकारतर्गत) उसके समक्ष संपूर्ण विवरण अधोलिखित तालिका अनुसार स्थापित किया जाता है।

(C)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 03 श्री प्रेमदीप सांकला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष कॉलम नंबर 3(एफ) आरक्षी केंद्र-आब. कारी वृत्त पूर्व मंदसौर एवं पश्चिम उसके समक्ष संपूर्ण विवरण अधोलिखित तालिका अनुसार स्थापित किया जाता है।

(D)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 08 में लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर के समक्ष कॉलम नंबर 8(ब) आरक्षी केंद्र महिला थाना के समक्ष लिखा विवरण विलोपित किया जाता है।


(F)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 08 में लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर के समक्ष कॉलम नंबर 8(ब) आरक्षी केंद्र भावगढ़ एवं उसके समक्ष संपूर्ण विवरण अधोलिखित तालिका अनुसार स्थापित किया जाता है।

(G)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 09 सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष अंकित कॉलम नंबर 9(अ) में अंकित आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील क्षेत्राधिकारतर्गत) उसके समक्ष संपूर्ण विवरण विलोपित किया जाता है।

(H)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 09 सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष अंकित कॉलम नंबर 9(फ) आरक्षी केंद्र-शहर कोतवाली एवं उसके समक्ष संपूर्ण विवरण अधोलिखित तालिका अनुसार स्थापित किया जाता है।

(I)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 09 सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष अंकित कॉलम नंबर 9(ज) आरक्षी केंद्र- महिला थाना मंदसौर एवं उसके समक्ष संपूर्ण विवरण अधोलिखित तालिका अनुसार स्थापित किया जाता है।

(3)- श्री प्रेमदीप सांकला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	3(अ) आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ (मंदसौर तहसील क्षेत्राधिकारतर्गत)	1. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (अनुक्रमांक-7, अनुक्रमांक-8, अनुक्रमांक-9 की कंडिका (3)(ब) में उल्लेखित महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
	3(ब) आरक्षी	3. स्तंभ क्रमांक 3(ब) में उल्लेखित आरक्षी


 (एस.एस. जमरा)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 मंदसौर (म.प्र.)

		केंद्र-आब. कारी वृत्त पूर्व मंदसौर एवं पश्चिम	केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
(8)-	लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	8(ज) आरक्षी केंद्र-भावगढ़	1. स्तंभ क्रमांक 8(ज) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 2. स्तंभ क्रमांक 3(अ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण। 3. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
(9)-	सुश्री रूपा मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	9(फ) आरक्षी केंद्र-शहर कोतवाली	8. स्तंभ क्रमांक 8(द) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		9 (ज) आरक्षी केंद्र- महिला थाना मंदसौर	1. स्तंभ क्रमांक 8(ब) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद

उक्त कार्यविभाजन आदेश दिनांक **12.10.2023** से प्रभावशील होगा।

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन एवं संस्वीकृतियां

प्रभावशील संशोधित :: अनुसूची "ब" :: में कॉलम नंबर 6 निम्नानुसार संशोधन किया

.क.	थाना क्षेत्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3
8	आरक्षी केंद्र महिला थाना	लक्ष्मी वास्कले, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर

(एस.एस. जमरा) 12.10.2023

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 12.10.2023

पृ. क्रमांक:- 1802/2023

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्री समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 थाना प्रभारी, थाना समस्त की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.एस. जमरा) 12.10.2023

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

न्यायालय : एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)

::: संशोधित कार्य विभाजन आदेश वर्ष:-2023:::

दिनांक 28.11.2023 से प्रभावशील

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य वर्ष 2023 के प्रभावशील कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2023 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट किया जाता है:-


(A)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 15 सुश्री मेघा पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष अंकित कॉलम नंबर 15(अ) लगायत 15(ई) में अंकित आरक्षी केंद्र गांधीसागर विलोपित किया जाता है।

(B)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 14 श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष कॉलम नंबर 14(अ), 14(ब), 14(ई) में " गांधीसागर" अधोलिखित तालिका अनुसार स्थापित किया जाता है।

(C)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 14 श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष कॉलम नंबर 14(स) के समक्ष अंकित "(राशि रुपये 1 से 1,50,001 तक) की" विलोपित कर उसके स्थान पर "समस्त" किया जाता है।

(D)- कार्य विभाजन पत्रक के सरल क्रमांक 14 श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर, के समक्ष कॉलम नंबर 14(एफ) आरक्षी केंद्र- भानपुरा* एवं गांधीसागर* एवं उसके समक्ष संपूर्ण विवरण निम्नानुसार स्थापित किया जाता है।

(14)-	श्री ऋषिराज मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानपुरा	14(अ) आरक्षी केंद्र- भानपुरा एवं गांधीसागर	1. स्तंभ क्रमांक 14(अ) में उल्लेखित थाना क्षेत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद तथा खात्मा प्रतिवेदन। (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य एवं संज्ञेय अपराधों को छोड़कर) 2. सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
		14(ब) आरक्षी केंद्र- भानपुरा एवं गांधीसागर	4. स्तंभ क्रमांक 14(ब) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों/आबकारी वृत्त से संबद्ध/उद्भूत मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरण।
		14(स) तहसील- भानपुरा एवं गांधीसागर	5. स्तंभ क्रमांक 14(स) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों के क्षेत्राधिकारांतर्गत से उत्पन्न पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन के सभी परिवाद।
		14(ई) आरक्षी केंद्र- भानपुरा एवं गांधीसागर	7. स्तंभ क्रमांक 14(ई) में अंकित थाना क्षेत्रों में - न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्ति की मृत्यु होने पर द.प्र.सं. की धारा 176 के अधीन मृत्यु जांच।
		14(एफ) आरक्षी केंद्र- भानपुरा* एवं गांधीसागर*	3. स्तंभ क्रमांक 14(एफ) में उल्लेखित आरक्षी केंद्रों से संबद्ध - 1. महिलाओं के विरुद्ध किये गये ऐसे अपराधों के प्रकरण, जिनके विचारण संबंधी अधिकारिता अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय में निहित है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराध से उद्भूत होने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 312, 354, 354(अ), 354(ब), 354(स), 354(द), 493, 498, 498-ए एवं 509 के प्रकरण। 2. घरेलु हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम


28.11.2023

		<p>2005 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले प्रकरण)।</p> <p>4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबद्ध प्रकरण।</p> <p>5. दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन।</p> <p>6. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीड़ित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से संबद्ध।</p> <p>नोट :-*आरक्षी केंद्र गांधीसागर के समस्त आपराधिक प्रकरणों संबंधी क्षेत्राधिकारिता अनुक्रमांक 13-A के न्यायिक अधिकारी को दिये जाने से उक्त आरक्षी केंद्र के सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।</p>
--	--	---

(एस.एस. जमरा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

,मंदसौर

मन्दसौर, दिनांक 28.11.2023

पृ. क्रमांक:- 980 / 2023

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्री समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 थाना प्रभारी, थाना समस्त की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(एस.एस. जमरा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मंदसौर

कार्यालय :- एस.एस. जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंदसौर (म.प्र.)
न्यायिक कार्य विभाजन वर्ष- 2023 से प्रभावशील दिनांक 29.11.2023 संशोधित अनुसूची "अ"


क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट जो अवकाश पर होंगे	जिनके पास चार्ज रहेगा	दोनों के अवकाश पर होने पर	तीनों के अवकाश पर होने पर	चारों के अवकाश पर होने पर	पौचों के अवकाश पर होने पर	उपरोक्त छः के अवकाश पर होने पर	उपरोक्त सभी के के अवकाश पर होने पर
10	सुश्री प्राची पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वाष्ण्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राहुल सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रवीण कुमार सौंधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
11	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मंदसौर	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वाष्ण्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राहुल सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री विनोद अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रवीण कुमार सौंधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर
12	सुश्री पूर्वी गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मंदसौर	श्री काशीष माटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, मंदसौर	सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री निकिता वाष्ण्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री राहुल सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	सुश्री लक्ष्मी वास्कले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रेमदीप सांखला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर	श्री प्रवीण कुमार सौंधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मंदसौर


 (एस.एस. जमरा)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 मंदसौर

पु. क्रमांक:- 981 / 2023

मन्दसौर, दिनांक 29.11.2023

- 01 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मंदसौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 02 पुलिस अधीक्षक, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03 श्री समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मंदसौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 04 जिला अभियोजन अधिकारी, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05 थाना प्रभारी, थाना समस्त की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06 सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 07 अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मंदसौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


 (एस.एस. जमरा)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट